फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशी लाल गुर्जर हाल नि. एम्स हॉस्पीटल गेट नं. 03 के सामने, बॉम्बे चौपाटी, आईस्क्रीम भोपाल (मध्यप्रदेश)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 13/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.03.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक/आर.टी.आई./अपील 13/2024/284 दिनांक 19.02.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध में बिन्दु संख्या 1 की सूचना के संबंध में यह है कि उचित मूल्य सतर्कता समिति ग्रामीण कुन्दवा एवं पारडी मिटींग एवं कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 01.01.2023 तक एवं सतर्कता समिति कुन्दवा एवं पारडी ग्रामीण सदस्य एवं अध्यक्ष सूची की प्रमाणित प्रति चाही गयी। इस क्रम में उक्त सूचना का संबंध ग्राम पंचायत कुन्दवा से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /281–82 दिनांक 19.02.2024 द्वारा ग्राम पंचायत कुन्दवा को भिजवाया गया। बिन्दु संख्या 02 की सूचना अपीलार्थी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बिन्दु संख्या (28) के क्रमांक एफ.17(45) खा. वि./विधि/76 जयपुर की प्रमाणित प्रति चाही गयी उक्त सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक /283 दिनांक 19.02.2024 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड भिजवा दी गयी है एवं बिन्दु संख्या 03 की सूचना उचित मूल्य की दुकान का वितरण रिकोर्ड दुकान पर रखे जाने के संबंध मे वितरण समाप्ति के एक वर्ष तक ही अपने व्यापार परिसर मे सुरक्षित रखे जाते है। एक वर्ष पश्चात रिकॅार्ड किस कार्यालय में रखे जाने संबंधी जानकारी चाही गयी है इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बिन्दु संख्या (28) के क्रमांक एफ.17(45) खा.वि. /विधि/76 जयपुर अनुसार पुराना रिकॉर्ड एक वर्ष तक ही अपने व्यापार परिसर में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश प्राप्त है। खाद्य विभाग द्वारा सितम्बर 2016 से उचित मूल्य दुकान से सामग्री पॉस मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक सत्यापन उपरान्त उपभोक्ताओ को वितरित की जा रही है, जिसके	

क्रम में समस्त रिकॉर्ड ऑनलाईन पोर्टल पर जनहित मे है कोई भी उपभोक्ता उक्त के क्रम मे पोर्टल से जानकारी प्राप्त कर सकता है। उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /281–82 दिनांक 19.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमांक /281–82 दिनांक 19.02.2024 एवं पत्र क्रमांक /283 दिनांक 19.02.2024 से उपलब्ध करवा दी गयी है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध करा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी तथा लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)